न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 257/2019

राज बहादुर ––––––बनाम–––––– सुमित शंखधार आदि।।

दिनांकः10.07.2019

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने अब से ग्यारह माह पूर्व अपनी पुत्री नीतू मिश्रा का विवाह सुमित शंखधार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया था। विवाह में परिवादी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था तथा सम्पूर्ण विवाह में आठ लाख रूपये खर्च किये थे। विपक्षीगण सुमित शंखधार, सुरेश चन्द्र, गिरजा देवी, अमित, आरती व रोशनी आदि दिये गये दान दहेज सन्तुष्ट न होने के कारण परिवादी की पुत्री नीतू को आये मारते पीटते व अतिरिक्त दहेज में वैगनार कार की मांग करते है। जिसके संबंध में परिवादी की पुत्री द्वारा परिवादी को कई बार बताया गया। तब परिवादी की पुत्री ने विपक्षीगण से कहा कि उसके पिता की स्थिति ऐसी नही है कि वह कार दे सके और उसके दो बहने और विवाह करने को है और हमारा विवाह तो पिता जी ने खेती बेच कर की है। जिस पर परिवादी की पुत्री नीतू को विपक्षीगण ने लात घूसों से मार पीट कर घर से भगा दिया। परिवादी की पुत्री जैसे तैसे घर आई और सारी बात बताई। तब परिवादी ने सोचा की कुछ समय बाद विपक्षीगण सुधर जायेगे और उसकी पुत्री को बुलाकर ले जायेगे, परन्तु अभी तक विपक्षीगण ने नीतू की सुध नही ली है और न ही उसे लेने आये। जब परिवादी ने विपक्षीगण से नीतू को विदा कराने की बात कही तो उन लोगों ने कहा कि यदि बगैर कार के भेजा तो उसकी लाश यहां से जायेगी। परिवादी ने उक्त के सम्बन्ध में थाना बीसलपुर में प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई और पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को भी प्रार्थना पत्र दिये जाने पर भी आज तक कोई सुनवाई नही हुई।

परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया और परिवाद कथानक के समर्थन में उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू01 नीतू मिश्रा व पी0डब्लू02 विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 से परिवाद कथानक का समर्थन है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है किहमारी बेटी की शादी दिनांक 29.04.2018 को सुमित शंखधार के साथ हुई। शादी के बाद से ही हमारी बेटी के ससुराल वालों ने दहेज में कार मांगना शुरू कर दिया, हमारी बेटी के मना करने पर उसके ससुराल वाले उसके साथ मार पीट करते थे। लगभग एक माह पहले हमारी बेटी को ससुराल वालों ने घर से भगा दिया। थाने जाने पर सुनवाई नही हुई। एस0पी0साहब के यहॉ भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित किया जाए। जिसका समर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा भी किया गया है। अतः विपक्षीगण द्वारा

परिवादी की पुत्री नीतू मिश्रा से अतिरिक्त दहेज में बैगनार कार की मॉग कर मारे पीटे जाने के संबंध में तलब किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिवादी की परीक्षा अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण की परीक्षा अन्तर्गत 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विपक्षीगण सुमित शंखधार, सुरेश चन्द्र, गिरजा देवी, अमित, आरती व रोशनी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 323 व धारा 4 डी0पी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सुमित शंखधार, सुरेश चन्द्र, गिरजा देवी, अमित, आरती व रोशनी को धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 डी0पी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादिनी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करे तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्तगण दिनांक 07.08.2019 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।